

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2011

विषय:-उ0प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 का प्रख्यापन।

महोदय,

प्रदेश के किसानों और भूस्वामियों को खतौनी के कम्प्यूटरीकृत उद्धरण दिलाने की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु शासन की अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई, 2005 द्वारा "उ0प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005" बनाई गई थी। शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 01 जुलाई, 2009 द्वारा नियमावली के नियम-4 में संशोधन करके इस मद में होने वाली आय को बैंक में जमा कराने, लेखों के रख-रखाव, व्यय आडिट तथा शासकीय कार्यों हेतु खतौनी की प्रति निःशुल्क दिए जाने की व्यवस्था की गई थी।

2- उ0प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली 2005 (यथा संशोधित, 2009) के नियम-6 में कम्प्यूटरीकृत खतौनी की प्रति केवल तहसील मुख्यालयों से जारी किए जाने की प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप जनसामान्य को पहले तहसील मुख्यालय पर जाकर आवेदन पत्र सहित निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ता है और प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दुबारा तहसील मुख्यालय पर जाना पड़ता है जिसमें अनावश्यक रूप से उनका समय, श्रम व धन नष्ट होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि कम्प्यूटरीकृत खतौनी की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपि जनसामान्य को 'इण्टरनेट' तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले 'जन सुविधा केन्द्रों' के माध्यम से सुलभ करा दी जाय। इस उद्देश्य से शासन की विज्ञप्ति संख्या-72/1-4-11-134बी-4/2002 दिनांक 12 जनवरी, 2011 "उ0प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2011" प्रख्यापित की गयी है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।


3- 'इण्टरनेट' एवं जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत खतौनी की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति जारी करने की व्यवस्था लागू करने हेतु आई0टी0

इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा एन0आई0सी0 के सहयोग से आवश्यक तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी गई हैं तथापि इस व्यवस्था को लागू करने में कुछ समय लग सकता है।

अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई व्यवस्था लागू होने तक तहसीलों के काउण्टरों से कम्प्यूटरीकृत खतौनी की प्रतियाँ पूर्व निर्धारित शुल्क रू0 15/- लेकर जारी करने की प्रक्रिया पूर्ववत् जारी रखी जाय।

संलग्नक:—यथोक्त।


भवदीय


(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:—

1. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।


(आर0एन0 उपाध्याय)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व अनुभाग-4
संख्या- 72 / 1-4-11-134 बी-4 / 2002
लखनऊ: दिनांक: 12 जनवरी, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या: 4 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901 (यू0पी0 एक्ट संख्या-3, सन् 1901) की धारा 234 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम
विस्तार और
प्रारम्भ

- 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2011 कही जायेगी।
(2) यह उन सभी क्षेत्रों में लागू होगी जहाँ उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 या कोई भी सहायक नियम लागू हैं।
(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-2 का
संशोधन

- 2- उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 2 में उप नियम (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्-
2- उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 में नियम-2 के उपनियम (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्-

(ड.) 'इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर' का तात्पर्य, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (टी ए) में परिभाषित किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रमाणीकरण से है।

नियम-6 का
संशोधन

- 3- उक्त नियमावली में नियम-6 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान उपनियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(3) किसी आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ 15 रूपये की रकम जमा करके कम्प्यूटरीकृत खतौनी का एक उद्धरण तहसील काउन्टर से तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे उद्धरण पर काउन्टर पर उपस्थित कार्मिक का नाम और दिनांक सहित हस्ताक्षर अंकित होगा।	(3) किसी आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोक्ता प्रभार जमा करके कम्प्यूटरीकृत खतौनी का एक उद्धरण तहसील काउन्टर से तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे उद्धरण पर काउन्टर पर उपस्थित कार्मिक का नाम और दिनांक सहित हस्ताक्षर अंकित होगा। किसी आवेदक द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से विभागीय वेबसाइट का उपयोग कर, कम्प्यूटरीकृत

	खतौनी का इलेक्ट्रॉनिकली हस्ताक्षरित उद्धरण प्राप्त किया जा सकता है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोक्ता प्रभार एवं सेवा प्रदाता का प्रभार लिया जायेगा।
--	--

आज्ञा से,
12.1.11
(के०के० सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 72(1)/1-4-11-134 बी-4/02 दिनांक 12, जनवरी, 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
12/1/11
(आर०एम० उपाध्याय)
विशेष सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-4**

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-72/1-4-11-134B-4/2002, dated 12 January, 2011

Notification

No. 72 /1-4-2011-134 B-4-2002

Lucknow Dated: 12 January 2011

In exercise of the powers under clauses (b) and (d) of subsection (1) of 234 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (UP Act no. III of 1901) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (UP Act no. 4 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) Rules, 2005:-

**The Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization)
(Second Amendment) Rules, 2011**

Short title
extent and
commencement

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) (Second Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall apply to all those areas where the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 or any subsidiary rules are applicable.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment
of rule-2

2- In the Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) Rules, 2005 herein after referred to as the said rules, in rule 2 after sub-rule (d), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

(e) 'Electronic Signature' means the authentication of any electronic record as defined in clause (ta) of sub section (1) of section 2 the Information Technology Act-2000.

Amendment of
rule-6

3 In the Rules, 2005, in rule 6, for sub rule (3) set out in Column 1 below, the sub rule as set out in Column 2 shall be substituted namely:-

Column-1	Column-2
Existing sub -rule	Sub -rule is hereby substituted
(3) An extract of Computerized Khatauni can be obtained immediately by an applicant by depositing a sum of Rs. 15/- along with the application, from the Tehsil counter. Such extract will	(3).- An extract of Computerized Khatauni can be obtained immediately by an applicant by depositing user charges prescribed by the State Government along with the application from the Tehsil counter . Such extract will bear the name and dated signature of the official present

bear the name and dated signature of the official present at the counter.

at the counter .An electronically signed extract of Computerized Khatauni can also be obtained by an applicant through Internet by visiting the departmental website for which user charges prescribed by the State Government would be taken.

By Order

(K.K. Sinha)

Principal Secretary

K.K. Sinha
21/01/2011